UPHR010013692026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P.5728)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–593/2026

सुजीत पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम सिंहपुर, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर।

------------------------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार---------------------------------विपक्षी।

दिनांकः–11.03.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुजीत की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–324/2025, अन्तर्गत धारा–305(a), 331(4) बी०एन०एस०, थाना अतरौली, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार विनीता देवी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्रीराम की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि आज दिनांक 28.08.2025 की रात में वह अपने घर में सो रहा था। अज्ञात चोरों ने घर में घुस कर दो बक्सा, एक अलमारी में रखा बहू व पत्नी का रखा जेवर, एक जोड़ी झुमकी, एक मांग बेदी, एक करधनी, एक जोड़ी हथफूल, एक जोड़ी पायजेब, तौक करधनी, नथुनी, एक जोड़ी तोड़ा उठा कर ले गये तथा मेरे सगे भाई प्रकाश के घर में सेंध लगाकर चोरी कर ली, जिसमें दो बक्सों में रखा दो बहुओं का जेवर दो हजार, दो मांग बेंदी, दो नथुनी, दो जोड़ी पायल, दो कमर बिछुआ, दो जोड़ी हथफूल, दो जोड़ी झुमकी, दस जोड़ी बिछिया, तीन हजार रूपये नगद उठा ले गये ।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट का नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कथित घटना दिनांक 28.08.2025 की रात को होना दर्शाया गया है और वादी मुकदमा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.08.2025 को 23.01 बजे दर्ज करायी गयी है। उसके द्वारा किसी भी प्रकार को कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जब वास्तव में वह घटना की तिथि को बाहर था। उसके पास से कोई चीज वस्तु बरामद नहीं हुई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया है न ही

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 13:32:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचारधीन है और न ही खारिज हुआ है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रसांगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रो को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुस कर जेवर, एक जोड़ी झुमकी, एक मांग बेदी, एक करधनी, एक जोड़ी हथफूल, एक जोड़ी पायजेब, तौक करधनी, नथुनी, एक जोड़ी तोड़ा व उसके भाई के घर में सेंध लगाकर जेवर दो हजार, दो मांग बेंदी, दो नथुनी, दो जोड़ी पायल, दो कमर बिछुआ, दो जोड़ी हथफूल, दो जोड़ी झुमकी, दस जोड़ी बिछिया, तीन हजार रूपये नगद चोरी किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट का नामजद अभियुक्त नहीं है तथा दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कुल 3 प्रकरणों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, किन्तु किसी भी प्रकरण में उसे दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.01.2026 से जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

8– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सुजीत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जायेगा।
6. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांकः–11.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।